रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72
REGISTERED No. D.(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIB. GO.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1978/वैशाख 8, 1900
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1978/VAISAKHA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1978

का०आ० 286(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

बिहार विधान सभा के एक सदस्य श्री राम शरण यादव के विरुद्ध एक अर्जी श्री ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह द्वारा फाइल की गई है जिसमे यह अभिकथन किया गया है कि उक्त श्री राम शरण यादव संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अर्थों मे विधान सभा के सदस्य होने के लिए निरहित हो गए है;

और राष्ट्रपति ने, उक्त अर्जी के प्रति निर्देश से इस प्रश्न पर कि क्या उक्त श्री राम शरण यादव इस प्रकार निरहित हो गए है, संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी है;

और निर्वाचन आयोग की यह राय (उपाबंध) है कि अनुच्छेद 192(1) के अर्थों मे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है कि क्या उक्त श्री रामशरण यादव अपने निर्वाचन के पश्चात् किसी प्रकार निरहित हो गए है।

अतः, अब मैं, भारत का राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि अनुच्छेद 192(1) (क) के अर्थों में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है कि क्या उक्त श्री राम शरण यादव अपने निर्वाचन के पश्चात् निरहित हो गए है।

नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत का निर्वाचन आयोग

श्री राम शरण यादव के मामले मे

राय

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन यह निर्देश किया है कि क्या जिला औरंगाबाद (बिहार) के श्री राम शरण यादव, जो मई-जून, 1977 मे हुए साधारण निर्वाचन मे 241 गोह विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र से बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) के अनुसार निरहित हो गए है।

अर्जीदार, ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 192 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को दी गई अपनी अर्जी मे यह अभिकथन किया है कि 1977 मे बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन मे उक्त विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र से अपना नामनिर्देशन पत्र फाइल करते समय श्री राम शरण यादव, जिला औरंगाबाद के एक प्रारम्भिक विद्यालय में शिक्षक का पद धारण करते थे और उस जिले के गोह अंचल में हदियारा मिडिल स्कूल मे प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे और यह कि बिहार नान गवर्नमेंट एलीमेंटरी स्कूल्स (टेकिंग ओवर आफ कंट्रोल)

ऐक्ट, 1976(1976 का बिहार अधिनियम 30) की धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रवर्ग में आते थे। इसलिए अर्जीदार ने यह तर्क दिया कि मुसगत समय पर श्री राम शरण यादव राज्य सरकार के अधीन 'लाभ का पद' धारण कर रहे थे और इसलिए वे विधान सभा का सदस्य चुने जाने और बने रहने से निरर्हित हैं। अर्जीदार द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि अपने नामनिर्देशन पत्र की जांच के समय रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अपने शपथ पत्र में श्री यादव का यह कथन कि उन्होंने सेवा से त्याग पत्र दे दिया था और उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था, झूठा था। अर्जीदार ने अपने इस अभिकथन के समर्थन में औरंगाबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तारीख 28 जून, 1977 को जारी किए गए पत्र की एक प्रति संलग्न की है जिसमे अर्जीदार को यह सूचना दी गई थी कि श्री राम शरण यादव ने अपना नामनिर्देशन पत्र फाइल करने से पहले या उस तारीख तक कोई त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त होने पर पक्षकारों को सूचनाएं जारी की गई थी।

प्रत्यर्थी ने उचित शपथ-पत्र से समर्थित एक लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमे उसने इस बात से इनकार किया कि वह अर्जी मे अभिकथित रूप मे निरर्हित हो गया है।

सुनवाई के लिए तारीख २९ नवम्बर, 1977 नियत की गई और दोनों पक्षकारों को उसकी सूचना भेजी गई किन्तु दोनों पक्षकारों के अनुरोध पर सुनवाई 20 जनवरी, 1978 तक के लिए स्थगित कर दी गई। 20 जनवरी, 1978 को दोनो पक्षकारो का प्रतिनिधित्व उनके वकीलो द्वारा किया गया।

विपक्षी पक्षकार की ओर श्री एस० सी० अग्रवाल, अधिवक्ता ने, जिनकी सहायता श्री पी० डी० शर्मा, अधिवक्ता कर रहे थे, निवेदन किया कि अर्जीदार ने स्वय यह स्वीकार किया है, जैसा कि उसकी अर्जी में दिया हुआ है, कि श्री यादव अपना नामनिर्देशन पत्र फाइल करते समय भी, अर्थात् बिहार विधान सभा मे अपने निर्वाचन के पहले एक शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद धारण करते थे। श्री अग्रवाल ने इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा साका वेंकटराव बनाम निर्वाचन आयोग (1965-3-एस० सी० आर० 53) मे अधिकथित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ससद् या राज्य विधान मडल के किसी सदन का सदस्य होने के पूर्व निरर्हता उपगत कर लेता है तो उसके लिए उपचार सविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अर्जी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और यह कि सविधान के अनुच्छेद 192(1)(क) के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग को केवल निरर्हता के उन मामलो मे जाच करने की अधिकारिता है जिनमे कोई व्यक्ति विधान मडल का सदस्य होने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है। दूसरे शब्दों मे अनुच्छेद 192(2) के उपबंध तभी लागू होंगे जब निरर्हता निर्वाचन के पश्चात् हुई हो।

अर्जीदार की ओर से उपस्थित हुए श्री उदय प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ने, विपक्षी पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन का खडन करने के लिए समय बढाने की मांग की। दोनों पक्षकार सहमत थे, अतः सुनवाई के लिए दूसरी तारीख 1 फरवरी, 1978 नियत की गई।

1 फरवरी, 1978 को अर्जीदार के विद्वान कांउसेल ने निवेदन किया कि अर्जीदार ने विपक्षी पक्षकार के निर्वाचन को निर्वाचन अर्जी द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है, अतः उसे इस अर्जी को वापस लेने की इजाजत दी जाए और इसके अतिरिक्त ऐसा आदेश पारित किया जाए जो आयोग उचित समझे। बाद मे, अर्जीदार के विद्वान कनिष्ठ अधिवक्ता श्री आई० टी० गौड़ ने एक लिखित प्रार्थनापत्र देकर उक्त तथ्यों का समर्थन किया, इसलिए अर्जीदार को यह अर्जी वापस लेने की मंजूरी दी गई।

तदनुसार निर्वाचन आयोग की राय है कि अनुच्छेद 192 के अर्थों में यह प्रश्न नही उत्पन्न हुआ कि है कि क्या श्री राम शरण यादव अपने निर्वाचन के पश्चात् निरर्हित हो गए है। यह प्रश्न, कि क्या वह अपने निर्वाचन की तारीख को सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित थे, केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा उपबंधित समुचित प्राधिकारी को निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करके ही उठाया जा सकता है।

एस० एल० शकधर, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[स० एफ० 7(8)/78-वि०II]

के० के० सुन्दरम्, सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1978

S.O. 286(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas a petition has been filed by Shri Thakur Muneshwar Nath Singh against Shri Ram Sharan Yadav, a member of the Legislative Assembly of Bihar, alleging that the said Shri Ram Sharan Yadav has become subject to disqualification for membership of that Assembly in terms of article 191(1)(a) of the Constitution;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission under article 192(2) of the Constitution, with reference to the said petition, on the question whether, the said Shri Ram Sharan Yadav has become subject to such disqualification;

And whereas the Election Commission is of the opinion (Annexure) that no question has arisen in terms of article 192(1) as to whether the said Shri Ram Sharan Yadav has become subject to any disqualificaion after his election;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me under article 192(2) of the Constitution, do hereby decide that no question has arisen in terms of article 192(1)(a) as to whether the said Shri Ram Sharan Yadav has become subject to any disqualification after his election

NEELAM SANJIVA REDDY, Pres. of India

Annexure

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In Re : Shri Ram Sharan Yadav

OPINION

This is a reference from the President of India under Article 192(2) of the Constitution on the question as to whether Shri Ram Sharan Yadav of District Aurangabad (Bihar) who has been elected to the Legislative Assembly of Bihar at the General Election held in May-June, 1977 from 241-Goh assembly constituency has become subject to the disqualification mentioned in sub-clause (a) of clause (1) of Article 191 of the Constitution.

Thakur Muneshwar Nath Singh, the petitioner, in his petition made to the President of India under article 192 of the Constitution alleges that at the time of filing the nomination paper from the above assembly constituency at the general election to the Legislative Assembly of Bihar in 1977, Shri Ram Sharan Yadav was holding the post of a teacher in an Elementary school in the district of Aurangabad and was posted at Hatiara Middle School as its Headmaster in the Goh Anchal of the district and that he came under the category of employees of the State Government by virtue of the provisions contained in section 4 of the Bihar Non-Government Elementary Schools (Taking over of Control) Act, 1976 (Bihar Act 30 of 1976). The petitioner, therefore, contended that Shri Ram Sharan Yadav was holding an 'office of profit' under the State Government at the relevant time and therefore he is disqualified for being chosen as and for being a member of the Legislative Assembly. It is also alleged by the petitioner herein that the statement of Shri Yadav in his affidavit before the Returning Officer at the time of scrutiny of his nomination that he had resigned from the service and his resignation was accepted by the competent authority was false. In support of his allegation, the petitioner has enclosed a copy of the letter dated 28th June, 1977, issued by the District Superintendent of Education, Aurangabad, intimating the petitioner that Shri Ram Sharan Yadav has not submitted any resignation letter either before the filing of nomination paper or till that date.

On receiept of the reference from the President, notices were issued to the parties. The Respondent filed a written statement supported by proper affidavit denying that he has become subject to the disqualification alleged in the petition.

Intimation was sent to both the parties fixing 28th November, 1977 as the date hearing but it was adjourned till the 20th January, 1978, on the request of both parties On 20th January, 1978, both parties were represented by their lawyers

Shri S. C. Agarwal, Advocate, assisted by Shri P. D. Sharma, Advocate, on behalf of the opposite party submitted that the petitioner himself admitted, as contained in his petition, that Shri Yadav was holding the post of a teacher and headmaster even at the time of filing his nomination, that is, before his election to the Legislative Assembly of Bihar. Shri Agarwal further submitted that as laid down by the Supreme Court in Saka Venkatarao Vs. Election Commission (1965—3—SCR 53), if a disqualification had been incurred by a person before he had become a member of either House of Parliament or State Legislature, then the remedy lies by means of an election petition under the provisions of the Representation of the People Act, 1951 read with article 329(b) of the Constitution, and that under article 192(1)(a), the President and the Election Commission had jurisdiction only to enquire into those cases of disqualifications to which a person has become subject to after he had become a member of the Legislature. In other words, the provisions of article 192(2) would be attracted only if it was a post-election disqualification.

Shri Udai Pratap Singh, Senior Advocate, who appeared on behalf of the petitioner, sought for an extension of time to rebut the submissions made by the learned Advocate for the opposite party. As both the parties agreed, the next date of hearing was fixed on 1st February, 1978.

On 1st February, 1978, the learned counsel for the petitioner requested that as the petitioner had also challenged the election of the opposite party by an election petition before the Patna High Court, he migh be permitted to withdraw the present application and further order may be passed as the Commission should deem fit. Later on, Shri I. T. Gaur, learned Junior Advocate for the petitioner, supported the above facts by submitting a written application. The petitioner was, therefore, allowed to withdraw his present petition.

The Election Commission is accordingly of the opinion that no question has arisen in terms of article 192 as to whether Shri Ram Sharan Yadav has become subject to disqualification after his election. The question whether on the date his election he was disqualified for being chosen as a member can only be raised in an election petition presented to the appropriate authority provided for by the Representation of the People Act, 1951.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India.

[No. F. 7(8)/78-Leg. II]

K. K. SUNDARAM, Secy. to the Govt. of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978